संख्या-31/2018/2415/62-2-2018-2/4(05)/2018

प्रेषक,

जुहैर बिन सगीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 सितम्बर, 2018

विषय- लघु सिंचाई खण्डीय कार्यालय सुल्तानुपर में स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-761/स्था0-5(505)/2017-18, दिनांक 12.02.2018 एवं पत्र संख्या-जी-101/स्था0-5(505)/2017-18, दिनांक 25.05.2018 तथा संख्या-जी-149/स्था0-5/2018, दिनांक 13.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई खण्ड, अमेठी को जनपद-सुल्तानुपर में स्थानान्तरित किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त लघु सिंचाई खण्डीय कार्यालय अमेठी को समाप्त कर सृजित पदों एवं स्टाफ सहित जनपद-सुल्तानुपर में अस्थाई रूप स्थापित करते हुए जनपद-अमेठी को खण्ड, सुल्तानुपर में सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) खण्ड, सुल्तानपुर में आने वाले जनपद-सुल्तानपुर एवं अमेठी होंगे।
(2) खण्ड, फैजाबाद में जनपद-फैजाबाद, अम्बेडकर नगर एवं बाराबंकी यथावत् रहेंगे।
(3) खण्डीय कार्यालय जनपद-सुल्तानुपर में पूर्व से निर्मित विभागीय केन्द्रीय भण्डार अमहट में स्थापित होगा।

अतएव कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2415(1)/62-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग।
7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11- एन0आई0सी0 की प्रति।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।